तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 724/2018 अनवान भैराराम बनाम जैताराम
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय डूडियों की ढाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **30.11.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय डूडियों की ढाणी, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय डूडियों की ढाणी पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर
30.11.2021	यह पत्रावली आज बमुकाम डूडियों की ढाणी, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय डूडियों की ढाणी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत मौजा रावतसर दक्षिण के खसरा नंबर 1027 रकबा 40.00 बीघा मे सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 के खेत खसरा नं. 1025 रकबा 386 बीघा में से 01.02 बीघा 12 फिट चौड़ा नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा मजमे आम में मौका फर्द बनाकर प्रस्तुत कि गई तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि ग्राम रावतसर दक्षिण तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 1027 रकबा 40.00 बीघा मे पहुँचने हेतु मौजा रावतसर दक्षिण के खसरा नंबर 1025 रकबा 386 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 2.08 बीघा भूमि की बाजार दर 68,634/– प्रति बीघा का 02 गुणा 3,29,443/– राशि उक्त खसरें में से गुजरता पडेगा। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 4 गट्ठा रखी गयी है, जो आपस में जुड़ने वाले खसरों की सीमा पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उक्त खेत में पहुचने का कोई मार्ग नही है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है।
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। रावतसर दक्षिण तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 1027 रकबा 40.00 बीघा मे पहुँचने हेतु मौजा रावतसर दक्षिण के खसरा नंबर 1025 रकबा 386 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 2.08 बीघा भूमि की बाजार दर 68,634/– प्रति बीघा का 02 गुणा 3,29,443/– राशि मार्ग का क्षैत्रफल 2.08 बीघा है, जो संलग्न नक्शा में बरंग "**लाल**" दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी श्री जेताराम पुत्र गंगाराम, श्री देवाराम पुत्र गंगाराम श्री पीराराम पुत्र गंगाराम, श्री नरसींगाराम पुत्र गंगाराम, 5 उदाराम पुत्र सोनाराम, श्री उगाराम पुत्र देदाराम, श्री नेनाराम पुत्र भगवानाराम, श्री त्रिलोकाराम पुत्र मूलाराम, श्री भंवराराम पुत्र मूलाराम, श्री गुमनाराम पुत्र गुलाराम, श्री थानाराम पुत्र रामाराम जातियान जाट निवासीयान रावतसर दक्षिण तहसील एवं जिला बाड़मेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर